DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 24 जनवरी 2024

DDA के अफसर को हिरासत में लेकर कोर्ट में लाने का आदेश

अवमानना पर द्वारका कोर्ट ने लिया एक्शन

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** द्वारका कोर्ट के एक डिस्ट्रिक्ट जज ने डीडीए के एक कमिश्नर (लैंड एंड मैनेजमेंट) को हिरासत में लेकर अदालत के सामने पेश करने का दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है। डीडीए अधिकारी के खिलाफ यह कार्रवाई एक आदेश की अवमानना के लिए की गई। अदालत ने सुनवाई करते हुए नसीरपुर गांव में वादी की लगभग 1000 वर्ग गज जमीन पर तोड़फोड़ या उससे वादी को बेदखल करने पर रोक लगा दी थी। बावजूद डीडीए की कार्रवाई जारी रहने का वादी ने आरोप लगाया, जिस पर अदालत ने यह आदेश दिया है।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (SW) अमन प्रताप सिंह ने कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर (सीपीसी) की धारा 32 और 94 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डीसीपी, साउथ ईस्ट को निर्देश दिया कि वह डीडीए के कमिश्नर (लैंड एंड मैनेजमेंट) विकास सिंह को हिरासत में लें और 9 फरवरी या उससे पहले पेश करें, ताकि उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर यह पूछा जा सके कि उन्हें तीन महीने के लिए जेल में कैद क्यों न रखा जाए। अदालत ने साफ कहा कि अगर डीसीपी, साउथ ईस्ट इस आदेश के अनुपालन में असफल रहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश होकर इसकी वजह बतानी होगी। मामले में आगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।

पुलिस को 9 फरवरी या उससे पहले पेश करना होगा, जमीन के एक केस में चल रही थी सुनवाई

वादी करमवीर सोलंकी की ओर से एडवोकेट राजेश कौशिक ने अर्जी दायर कर मामले में अवमानना कार्रवाई की अदालत से मांग की थी। अर्जी में डीडीए अधिकारी पर इस अदालत के 2 जनवरी के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। वादी के मुताबिक, नसीरपुर गांव में उसकी लगभग 1000 वर्ग गज जमीन है, जो उसे उसके पुरखों से मिली है। एक दिन अचानक से डीडीए जमीन अपनी होने का दावा करने लगा और वादी को डिमोलिशन या जमीन से बेदखल करने के लिए धमकाने लगा। दूसरी तरफ, डीडीए ने दलील दी कि खसरा नंबर 393 के तहत जमीन उसकी है और वादी उसे हड़पना चाहता है। अदालत ने हालांकि, वादी के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया था।

कालकाजी मंदिर के कायाकल्प की निगरानी करेगी समिति!

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** कालकाजी मंदिर के कायाकल्प से जुड़े कामों में कोई अड़चन पैदा न हो, परियोजना से जुड़ा हर काम समय से और नियमों के मुताबिक पूरा हो जाए, इसके लिए एक सुपरवाइजिंग या ओवरसाइट कमिटी के गठन का सुझाव दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा गया, जिसने साउथ दिल्ली स्थित इस सिद्धपीठ धार्मिक स्थल को अपनी निगरानी में नया रूप देने की जिम्मेदारी संभाल रखी है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच के आदेश के मुताबिक, मंदिर परिसर का डिमार्केशन मैप प्रोजेक्ट से जुड़े दोनों आर्किटेक्ट को सौंप दिया गया। उन्हें और डीडीए को मैप के बारे में अपनी राय देनी है। जहां तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर/ कंसल्टेंट की नियुक्ति की बात है तो इस काम को छह हफ्तों के भीतर पूरा करने का आदेश है। कोर्ट ने साफ कहा कि पुनर्विकास योजना के लिए एमसीडी या अन्य संबंधित एजेंसियों से जो भी मंजूरियां ली जानी हैं, वो इस दौरान ले ली जाएं।

एडमिनिस्ट्रेटर ने सुझाव दिया कि मंदिर के पुनर्विकास कार्य की निगरानी के लिए एक सुपरवाइजरी/ ओवरसाइट कमिटी का गठन होना चाहिए, ताकि रोजाना के काम के दौरान कोई दिक्कत आए तो उसी वक्त उसका निपटारा हो सके। काम को तय योजना के मुताबिक पूरा करने के लिए भी इस समिति का होना जरूरी है। पर 14वीं रिपोर्ट में जो नाम सुझाए गए, उन पर विवाद दिखा। खासतौर पर पुजारियों ने इन नामों पर आपत्ति जताई। उन्होंने नए नामों के साथ एक सूची रखी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह पहले इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनेगा। इसके लिए 20 फरवरी की तारीख तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि उस दिन रेहड़ी-पटरी वालों को भी इस मुद्दे पर सुना जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024

Delhi to hold Yamuna aarti daily on lines of Varanasi; Vasudev Ghat almost ready

Atul.Mathur@timesgroup.com

LG VK Saxena attended a religious event at Vasudev Ghat on Monday and offered prayers at a replica of the Ram Temple

New Delhi: In less than two months from now, Delhi will have a place for the devout to offer prayers to the Yamuna every day.

Being developed on the western banks of the river opposite Kashmere Gate ISBT, Vasudev Ghat along the Yamuna is nearing completion. Once ready, Yamuna aarti will be organised at the ghat daily on the lines of Ganga aarti in Varanasi. The project is being executed by Delhi Development Authority and includes a ghat, a pedestrian walkway, a bathing place and landscaping in Charbagh style with baradaris (pavilion-like structures) and chhatris (canopies).

Lieutenant governor VK Saxena on Monday evening attended a religious event at Vasudev Ghat and offered his prayers at a replica of the newly built temple of Ram Lalla in Ayodhya.

Raj Niwas officials said many structures such as baradari and chhatri and two elephants made of pink sandstones have already been installed along with a huge bell weighing 300kg.

"The development of Vasudev Ghat is a part of the restoration of the Yamuna floodplain on either side of the river. The way Yamuna Vatika, Baansera and Asita have been developed along the river, Vasudev Ghat is also coming up in a similar fashion," an official said. He added that a total of 16 hectares of the floodplain– a stretch of 1.5km from Yudhishtir Setu in the north till Nigambodh Ghat in south – is being developed with extensive landscaping.

The new ghat will have stairs going down towards the river where people will be able to sit and watch the river. The riverfront of the ghat will be around 150 metres long.

While the work on Vasudev Ghat had started last year, officials said it was severely impacted due to the floods in the Yamuna in August. Officials said around one and half feet thick layer of silt was collected in and around the baradaris and other structures developed at the ghat.

"It took some time to clean the area and restart the development work, which pushed the deadlines. The work now is going on at a steady pace and we hope the ghat will be ready for aarti within a few weeks," said the official.

हिन्दुस्तान नई दिल्ली, बुधवार, 24 जनवरी 2024

'डीडीए अफसर को गिरफ्तार करें'

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी अदालत के आदेश की अवमानना में फंस गए हैं। अदालत ने एक विवादित जमीन पर अधिग्रहण और ध्वस्तीकरण करने पर रोक लगा दी थी।

इसके बावजूद डीडीए ने उस जमीन पर बनी इमारत को ध्वस्त कर अधिग्रहण कर लिया था। अब कोर्ट ने इस मामले में डीडीए के भूमि एवं प्रबंधन आयुक्त की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। द्वारका स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमन प्रताप सिंह ने डीडीए अधिकारी द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना के मद्देनजर दक्षिण-पूर्व के जिला पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि वह भूमि और प्रबंधन आयुक्त को 9 फरवरी या उससे पहले गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें। साथ ही, संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

- अदालत के आदेश का उल्लंघन किया था
- जमीन पर अधिग्रहण करने पर रोक लगाई थी

याचिकाकर्ता करमवीर सोलंकी ने अधिवक्ता राजेश कौशिक के माध्यम से डीडीए के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी नसीरपुर गांव में एक हजार गज पैतृक जमीन है। वर्ष 1993 में पटवारी ने फर्जी शिकायत कर कहा कि उसकी जमीन से लगी खसरा नम्बर 393 पर याचिकाकर्ता ने कब्जा कर लिया। इस बाबत याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में संबंधित दस्तावेज भी लगाए हुए हैं। यह मामला दीवानी अदालत में लंबित है।

अदालत ने विशेष अधिकारों का उपयोग किया : अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 2 जनवरी 2024 को डीडीए को निर्देश दिए थे कि मामले के निपटारे तक जमीन पर बने ढांचे को ढहाया न जाए। इस मामले में अदालत ने अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

रोशनआरा क्लब के पूर्व कर्मियों का प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली के रोशनआरा क्लब के पूर्व कर्मचारियों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। सितंबर माह के अंत में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने लीज मामले को लेकर क्लब को सील कर दिया था। अब डीडीए ने हाल में क्लब में विभिन्न खेल गतिविधियों को शुरू कर दिया है। हालांकि, पूर्व कर्मचारियों की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर क्लब के एक गेट के बाहर लगातार धरना दिया जा रहा है। पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि क्लब सील होने के बाद से अब तक लगभग 450 कर्मचारी बेघर हो चुके हैं। कई के पास रोजगार नहीं है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

बुधवार, 24 जनवरी 2024

APERS----------DATED----------

वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन होने पर आयोग से करें शिकायत : एनजीटी

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि यदि वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना (ग्रैप) का उल्लंघन होता है, तो आवेदक को केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से संपर्क करना चाहिए।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने 19 जनवरी को पारित अपने आदेश में कहा था कि वर्तमान में निर्माण और तोड़फोड़ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पीठ जिसमें न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे कहा, यदि ग्रैप लागू होने के बाद भी उल्लंघन हो रहा है तो आवेदक, सीएक्यूएम के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है।

ट्रिब्यूनल ने यह फैसला उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिसमें दावा किया गया था कि जब ग्रैप 3 प्रतिबंध लगाए गए थे, तब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों शामिल था।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय सीएक्यूएम ने 14 जनवरी को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज-3 लागू किया था। चार दिन बाद, हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। एजेंसी